विभाजित हो जाएगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह विश्व हिन्दू परिषद को कानून की अवज्ञा के परिणामों से अवगत कराये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मस्जिद के विध्वंस को रोकने एवं इसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए हर सम्भव कदम उठाये। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अभियान के सार को देखें। गृह मन्त्री जी एवं प्रधान मन्त्री जी, यह एक धार्मिक अभियान नहीं है। यह केवल एक राजनैतिक अभियान है। बाबरी मस्जिद उनका लक्ष्य नहीं है बल्कि उनका लक्ष्य देश की धर्म निरपेक्ष व्यवस्था है। उनका उद्देश्य किसी नये मन्दिर का निर्माण करना नहीं है। उनका उद्देश्य तो एक हिन्दू राष्ट्र का निर्माण करना है।

[हिन्दी]

'यह सियासत की अदा है, सानिहा कोई नहीं।

सबके मुंह में है जुबां, बोलता कोई नहीं।'

[अनुवाद]

महोदय, चुनाव निकट होने दीजिये। परन्तु चुनाव होते हैं और समय बीत जाता है। सरकारें आती हैं और बदल जाती हैं। सत्ता अस्थायी है। कोई भी व्यक्ति हमेशा शासन करने के लिये नहीं जन्मा है। देश का अस्तित्व कायम रहना चाहिये अतः उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह संविधान में निहित उपबन्धों का पूरा-पूरा पालन करते हुए, नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये, राज्य में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के दायित्वों का ध्यान रखते हुये और भारत के लोगों के भाग्य का संरक्षण करते हुए हर संभव उपाय करे। समय रहते इस तूफान को रोकना है। इस आग पर काबू पाना है कहीं यह हमारी विरासत, हमारे इतिहास और हमारे जीवन की सभी महत्वपूर्ण और अमूल्य वस्तुओं को भस्म न कर दे।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : उपाध्यक्ष महोदय, केवल धर्म निरपेक्ष भारत ही जीवित रह सकता है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल एक बात कह रहे है। गृह मन्त्री अन्तिम उत्तर देंगे। आप कल बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : ठीक है, मैं तेलुगु में बोलूंगा।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, केवल धर्म निरपेक्ष भारत ही जीवित रह सकता है; शायद वह भारत जो कि धर्म-निर्पेक्ष नहीं, जीवित रहने योग्य भी नहीं है। महोदय, हमारी सभ्यता और हमारे

[श्री राजीव गांधी]

देश के भविष्य की शान को सुनिश्चित करने के लिए भारत और धर्मनिर्पेक्षता को अवश्य ही एक बने रहना चाहिये ।

भारत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बस्ती में और प्रत्येक मोहल्ले में, वहां विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं का विभिन्न संस्कृतियों के लोग पड़ोसियों के रूप में एक साथ रहते हैं । धर्मनिर्पेक्षता हमारे अस्तित्व की एक शर्त है । यह हमारी परम्परा का सार है ।धर्म निरपेक्षता और हमारे राष्ट्र को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है ।

हमारा समाज बहुधर्मी, बहुभाषी है बहु-संस्कृति वाला है, लेकिन हमारा समाज बहु-राष्ट्रीय नहीं है । हम सब लोग एक है, हम एक राष्ट्र है, एक देश हैं और हमारी एक ही नागरिकता है ।

महोदय, अधिकतर सभ्यताएं, राष्ट्रवाद और विविधता को विरोधी मानते हैं । विश्व की सभ्यता में भारत का एक ही सबसे बड़ा योगदान इस बात का प्रदर्शन रहा है कि विवधता और राष्ट्र-वाद के बीच कोई भी भिन्नता नहीं है । आपने 5000 वर्षों के अनुभव के द्वारा हमने विश्व को यह दिखा दिया है कि विविधता में हमारी एकता एक जीवित वास्तविकता है ।

महोदय, आज के विश्व को भारत के अनुभव से सीखने की नितांत आवश्यकता है । आधुनिक युग में शांति और अस्तित्व, अहिंसा, सहनशीलता, करुणा और विविध दर्शनों और जीवन के विविध तरीकों के बीच शांतिपुर्ण सह-अस्तित्व के सम्बन्ध में ज्ञान पर निर्भर करती है । प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा विश्व छोटा होता जा रहा है और वह सार्वभौम गांव में बदल रहा है । विश्व को भी एकता और विविधता की उतनी ही आवश्यकता है ।

भारत की धर्मनिर्पेक्षता विश्वव्यापी आवश्यकता है क्योंकि विश्व की धर्मनिर्पेक्षता को मानवीय अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता इसे विश्वव्यापी अन्त:निर्भरता से अलग नहीं किया जा सकता, इसे विश्वव्यापी सहयोग से अलग नहीं किया जा सकता ।

महोदय, राष्ट्रों की संकीर्णता के परिणामस्वरूप, जिसमें लोगों की राष्ट्र के साथ, धर्म की राष्ट्र के साथ, भाषा की राष्ट्र के साथ, मानव जाति की राष्ट्र के साथ तुलना की जाती है, मानवता का इतिहास खून में सना हुआ है । इतिहास की अशांति और त्रासदी से बचने के लिये बहुत से देश और क्षेत्रीय संगठन अब विगत की अपवर्जिता से बचने का प्रयास कर रहे हैं । वे बहुसंस्कृति वाले समाजों की ओर जा रहे हैं, जहां पर विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सद्भाव, समानता और विश्वास के साथ इकट्ठे रह सकते हैं, इस विश्वास से वे अपनी विरासत और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, इस आत्मविश्वास के साथ वे विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकते हैं । एक साथ रहने पर एक दूसरे के साथ विचारों को विकसित किये बिना संस्कृति का नाश हो जाता है ।

महोदय, इस विश्व-व्यापी प्रयास में विश्व, भारत में विविधता में एकता से सबक ले रहा है । एक मिलीजुली संस्कृति को बनाने में हमारे रिकार्ड जीतना और किसी अन्य सभ्यता का रिकार्ड नहीं है । धर्मनिर्पेक्षता पर आधारित राज्यतन्त्र चलाने के लिए भी किसी और देश का हमारे जितना रिकार्ड नहीं है ।

महोदय, हजारों वर्षों से धर्मनिर्पेक्षता के होते हुये भी साम्प्रदायिक शक्तियां पूरी तरह समाप्त

नहीं हुई है। भारत का इतिहास, धर्मनिर्पेक्षता, सहनशीलता और करुणा की शक्तियों तथा इसके विपरीत साम्प्रदायिकता, कट्टरवाद और धार्मिक अंधविश्वास की शक्तियों के बीच एक द्वन्द्वात्मक प्रकार का इतिहास है। अन्त में धर्मनिर्पेक्षता की ही विजय होगी। लेकिन सांम्प्रदायिकता के विरुद्ध हमारी जो निरन्तर लड़ाई जारी है उसे हमें अवश्य लड़ना चाहिए।

महोदय, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया; हम धर्मनिर्पेक्षता को कैसे समझे? सर्वप्रथम हमारी धर्मनिर्पेक्षता धर्म-विरोधी सिद्धांत नहीं है, हम आध्यात्मिकता की प्रचुर मनोवृत्ति के प्रति गहरा और स्थायी सम्मान रखते हैं जोकि हमारी संस्कृति में व्याप्त है और भारत के प्रत्येक धर्म में व्याप्त है। यह हमारे इतिहास में व्याप्त है, यह हरेक व्यक्ति जोकि भारतीय है, उसमें व्याप्त है। आध्यात्मिकता की वह प्रचुर मनोवृत्ति हमारे नैतिक मूल्यों, हमारे विचारों और हमारे आदर्शों हमारे लक्ष्यों और हमारे उद्देश्यों का स्त्रोत है। हम इस आध्यात्मिक परम्परा का सम्मान करते हैं। हम इसके नैतिक मूल्यों की कदर करते हैं। हम उन सभी विभिन्न रूपों का आदर करते हैं जिनमें यह आध्यात्मिकता दिखाई देती है। हमारी धर्मनिरपेक्षता का मुख्य सिद्धांत सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना है अर्थात् **सर्व धर्म समभाव**।

6.00 म० प०

हमारा दूसरा महान सिद्धांत यह है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं। सरकार किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ पक्षपात नहीं करती है और धर्म के नाम पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, वह धर्म के ऊपर है। सरकार के लिए धर्म लोगों का निजी और वैकल्पिक मामला है: कोई भी भारतीय चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो या वह किसी भी धर्म का प्रचार करता हो. सरकार के लिए यह एक वैयक्तिक मामला है सरकार का सम्बन्ध केवल उन सभी को पूर्ण संरक्षण देना, उन सभी को समान अवसर देना, सभी को समान लाभ पहुंचाना है। सरकार के लिए सभी भारतीय उसकी नजर में समान भारतीय हैं।

तीसरा सिद्धांत जो कि पहले और दूसरे सिद्धांत से निकलता है क्योंकि धर्म का उच्च मूल्य है लेकिन यह निजी और वैयक्तिक जीवन में ही रहना चाहिए, इसकी देश की राजनीति में कोई भूमिका नहीं है।

महोदय, धर्म को राजनीति में मिलाना हमारी राजनैतिक व्यवस्था में जहर घोलना है। धर्म को राजनीति में शामिल करना हमारी सभ्यता की परम्पराओं हमारे संविधान के सिद्धांतों और हमारे देश के अस्तित्व के विरुद्ध है।

महोदय, हम स्वतंत्रता आंदोलन में धर्म को राजनीति में मिलाने के गम्भीर परिणाम को भूले नहीं हैं और हम उन्हें कभी भूलेंगे भी नहीं। स्वतन्त्रता की लड़ाई से जो कि 1857 से शुरू होकर 1940 तक चली। सम्प्रदायिक तत्वों को छोड़कर सभी समुदायों के भारतीय, भारत को आजाद कराने की लड़ाई में एक साथ थे, भारत के सभी लोगों के लिए, उनमें चाहे वे किसी भी जाति के लोग क्यों न हों, भारत को एक राष्ट्र के रूप स्वतन्त्र कराने से एक साथ रहना स्वयं इस बात को सिद्ध करता था कि वे हमारी शानदार विविधता का आदर कर रहे थे और उसका गुणगान कर रहे थे, और वे इस विश्वास पर एक हो गये थे कि भारत समान रूप से सभी भारतीयों का है।

मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव को पारित किये जाने के तुरन्त बाद, महोदय, भारत छोड़ो

[श्री राजीव गांधी]

आंदोलन के कारण सभी समुदायों और धर्मों के धर्मनिर्पेक्ष नेता उस समय या तो जेलों में थे अथवा छिप गये थे। महोदय, इसमें सांप्रदायिक तत्वों को मुख्य धारा में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। लाहौर प्रस्ताव के एक दशक से भी कम समय के अंदर भारत का बटवारा हो गया। हम भारत का फिर से बंटवारा कभी नहीं होने देंगे। हम धर्मनिर्पेक्षता पर सांप्रदायिक शक्तियों को पुन: कभी जीतने नहीं देंगे।

देशभक्त भारतीय ही धर्मनिर्पेक्ष भारतीय हैं। राष्ट्रवादी भारतीय ही धर्मनिर्पेक्ष भारतीय है। समर्पित भारतीय ही धर्मनिर्पेक्ष भारतीय हैं। अनुशासित भारतीय ही धर्मनिर्पेक्ष भारतीय है।

महोदय, स्वतन्त्रता के बाद के 40 वर्षों में हमने यह दिखा दिया है कि हम एक राष्ट्र हैं। हमने बाहरी आक्रमणों का एक संगठित राष्ट्र के रूप में सामना किया है। हमने कट्टरवादियों और धार्मिक अंधविश्वासों का देश के अन्दर भी एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ता से सामना किया है। पंजाब में जो कुछ हुआ है वह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। पृथकता के समर्थकों और धार्मिक कट्टरपंथियों का उद्देश्य एक ही था वे दोनों मिलकर आतंकवादियों. हत्यारों, खरीदे गए हत्यारों, बन्दूकें बेचने वालों, तस्करों और आम अपराधियों धर्म को राजनीति के साथ मिलाने वालो, अपराध को धर्म के साथ मिलाने वालों को अपने साथ मिला लिया। आपरेशन ब्लेक थंडर तक गुरुद्वारे अपराधी अड्डे बन गये थे, और यह बात सिद्ध हो गई थी कि आतंकवाद धर्म के लिए नहीं था, यह धार्मिक उद्देश्यों के लिये नहीं था परन्तु गलत उद्देश्यों के लिए था। पवित्र स्थानों को अपवित्र किए जाने और धर्म का दुरुपयोग किये जाने पर लोगों को क्षोभ हो गया था। लोगों को ग्रंथियों की डांट-डपट और सेवादारों के दमन से क्षोभ हो गया था।

पंजाब के लोगों ने हार नहीं मानी है। लोगों की सहनशक्ति समाप्त नहीं हुई है। सदियों का भाईचारा विजयी हुआ है। लोगों की स्वाभाविक धर्मनिरपेक्षता विजयी हुई है। महोदय, सांप्रदायिक ताकतों ने हार नहीं मानी है वह हमेशा शरारत करने की ताक में रहती है, वह हमेशा ही औरों को आगे करके पीछे से देश के राजनैतिक जीवन में प्रवेश करने का प्रयत्न करती रहती हैं। यदि धर्मनिर्पेक्ष ताकतें एकजुट होकर रहें तो साम्प्रदायिकता को रोका जा सकता है। खतरा तब होता है जब राजनैतिक दल अवसरवादिता के लिये उनके संकीर्ण विचारों को समर्थन देते हैं।

इस सदन में भी ऐसे राजनैतिक दल हैं जो जाने या अनजाने धर्म के रूप में छिपे कट्टरपन और जुनून का हथियार बन गए हैं। कुछ राजनैतिक दल अल्पसंख्यकों के डर को बढ़ावा देकर ही जिन्दा है। दूसरे दल बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को उकसा कर फायदा उठाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों को धार्मिक भावनाओं के रूप में भड़काते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना बात का बखेड़ा खड़ा करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो धर्म के रक्षकों के रूप में भावनाएं भड़काते हैं। कांग्रेस ने किन्ही भी परिस्थितियों में इन ताकतों के साथ कोई भी सम्बन्ध न रखने की कसम खाई है।

सरकार के रूप में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। हम इस सदन के प्रत्येक वर्ग का सहयोग आमन्त्रित करते है कि वह इस राष्ट्रीय प्रयत्न में हमारा सहयोग दे। मैं श्री इंद्रजीत गुप्त के सुझाव का स्वागत करता हूं। मैंने गृह मन्त्री से पहले भी अनुरोध किया है कि वह सभी धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय दलों को आमन्त्रित करें और उनके साथ मिलकर यह पता लगाए कि एक संयुक्त संस्कृति का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है।

हमारी धर्मनिरपेक्ष परम्परा वेदों और पुराणों के साथ आरम्भ होती है। "वसुधैव कुटुम्बकम" की परिकल्पना जिसे बुद्ध और महावीर द्वारा भी विकसित किया गया, भारतीय सभ्यता और हमारे समाज के विकास का आधार थी। हमने केरल में यहूदी धर्म का स्वागत किया। हमने सन्त थामस और ईसाई धर्म का स्वागत किया हमने जो राओसट्रिनिस्म का स्वागत किया और आज विश्व में सबसे अधिक पारसी हमारे यहां हैं, हमने गुरु नानक से लेकर गुरुगोविन्द सिंह तक मदान सिख गुरुओं का स्वागत किया। हमने इस्लाम और अमीर खुसरो तथा कबीर, बाबा फरीद और शाह अब्दुललतीफ की महान सूफी परम्परा का संश्लेषण किया हमारे धार्मिक त्यौहार किसी एक सम्प्रदाय के नहीं बल्कि सभी भारतीयों और सम्प्रदायों के हैं। हम उन्हें मिलकर मनाते हैं।

पिछले 40 वर्षों के दौरान हमने साम्प्रदायिकता पर काबू पाने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है। यह सांप्रदायिक घटनाओं की घटती प्रवृति से जाहिर होता है। यह साम्प्रदायिक झड़पों में मरने और जख्मी होने वाले लोगों की घटती संख्या से दर्शित होता है। किन्तु काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक सांप्रदायिक झगड़े बन्द नहीं हो जाते, जान और माल का नुकसान रुक नहीं जाता यह काम तब तक पूरा नहीं होगा। तो भी साम्प्रदायिकता को दूर रखने के लिये अत्यधिक सतर्कता की जरूरत होगी। जब तक साम्प्रदायिकता बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती। तब तक हमें इससे लड़ना होगा।

कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। केन्द्र अधिक से अधिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विचार कर सकता है, मार्गनिर्देश जारी कर सकता है. राज्य सरकारों की सहायता कर सकता है किन्तु आधार भूत उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का ही है। न्यायालयों ने भी कई बार राज्य सरकारों की सहायता की है, मैं बम्बई उच्च न्यायालय और न्यायाधीश बड़ूचा को उनके ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, हमने मुख्य मन्त्रियों को श्री पी० एन० हक्सर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद के उप दल भी दूर प्रभावी सिफारिशों की सिफारिश की है। कुछ प्रभाव पड़ा है, यद्यपि कुल कार्यवाही हमारी आशा के अनुरूप नहीं है। कुल साम्प्रदायिक स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। किन्तु हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। इस सांप्रदायिक दानव को समाप्त करना होगा।

इन्दिरा जी सांप्रदायिक गोलियों का शिकार हुई। वह उस 15 सूत्री कार्यक्रम की लेखक हैं जो सभी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। मैंने उस कार्यक्रम की कई समीक्षाओं की अध्यता की है और हालांकि हमने काफी प्रगति की है किन्तु मैं की गई प्रगति से सन्तुष्ट नहीं हूं। अभी बहुत कुछ किया जाना है और हम यह ध्यान रखेंगे कि अनुवर्ती कार्यवाही सही ढंग से हो। हमारे प्रत्येक सत्र के पश्चात बेहतर अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और उसके परिणाम प्राप्त हो रहे हैं प्रगति हो रही है किन्तु यह बहुत धीमी है। इसे तेज किया जाना चाहिए। हमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी। हमें सभी धर्मों के लोगों का मिला-जुला पुलिस बल तैयार करना होगा। हमें अल्पसंख्यकों को शिक्षा और उनकी आर्थिक तरक्की के लिए विशेष सहायता देनी होगी।

धर्मनिरपेक्षता को किसी एक ओर से खतरा नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के कट्टरपंथी, अलग-अलग ढंग से परेशानी पैदा कर रहे हैं। इसलिए जो लोग हमारी संघटक संस्कृति की उपेक्षा करते हैं और अपने अनुयाइयों को भारत के इतिहास की विकृत तस्वीर पेश करके, बिना किसी बात के परेशानी पैदा करते हैं और धार्मिक वक्तव्य देकर राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। यह राज्य सरकारों का

काम है कि वह इस प्रकार की चालों के प्रति सजग रहे तथा अशांति पैदा करने वालों तथा अशांति वाले स्थानों के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आसूचना व्यवस्था तैयार करे। यह राज्य सरकारों का काम है कि वह निवारक कार्यवाही करें और तुरन्त सुधारात्मक कदम उठाएं।

कोई भी राज्य सरकार चाहे वह कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी बेदाग रिकार्ड का दावा नहीं कर सकती। कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी सभी राज्य सरकारों ने इस समस्या पर काबू पाने का प्रयत्न किया है। किसी भी राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में किसी स्थिति को रोकने या उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा संपूर्ण केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह केन्द्र और राज्य तथा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच भेदभाव का मसला नहीं है यह एक राष्ट्रीय मसला है और उस पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

आम सहमति तथा पूरे देश से तैयार एक अनुकूल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदेशों का पालन पूरी निष्ठा से पालन किया जाना चाहिए। धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। हमारे हाल के संशोधनों के पश्चात् ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। किन्तु अभी कई राजनैतिक दलों ने अपने संविधान में संशोधन नहीं किया है। इन राजनैतिक दलों को अपने संविधान में संशोधन करके इसे राष्ट्रीय संविधान के अनुरूप बनाना चाहिए।

जिन अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक और आर्थिक सहायता की जरूरत है उन्हें उन समान अवसरों को उपलब्ध कराने में सहायता करनी चाहिए जिनकी गारंटी कानून द्वारा दी गई है। वास्तविक शिकायतों पर तत्काल काबू पाया जाना चाहिए, झूठी शिकायतों का तत्काल पर्दाफाश किया जाना चाहिए। कानून और व्यवस्था के तन्त्र को सभी धार्मिक पूर्वाग्रहों और साम्प्रदायिक तत्वों से अलग रखा जाना चाहिए। भारत के लोगों को चाहिए कि वह अन्त:स्थित धर्मनिरपेक्षता को वास्तविकता का जामा पहनाए।

इस वर्ष हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहें हैं। वह हमारे सबसे महान धर्मनिरपेक्ष नेताओं में एक थे शायद सबसे महान धर्मनिरपेक्ष नेता।

जब गांधी जी धार्मिक कट्टरपन्थियों का शिकार हुए तो धर्मनिरपेक्षता को आगे ले जाने का दायित्व पंडित जी के कंधों पर आ पड़ा।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन के खून खराबे का विरोध किया, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया बहुसंख्यक समुदाय के पुराने और दमनकारी रिवाजों को बदला। उन्होंने सभी धर्मों के मानने वालों को यह विश्वास दिलाया कि राज्य हर प्रकार के पूर्वाग्रह, भेदभाव और संकीर्णता से ऊपर है। उन्होंने सभी भारतीयों को सम्मान और अवसर दिया।

महोदय, हम जल्द ही साम्प्रदायिकता के मामले पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाना चाहते हैं और हम यदि विपक्षी पार्टियों के नेताओं और सदस्यों के साथ गृह मन्त्रालय की प्रारम्भिक बैठकों के बाद करना चाहेंगे।

महोदय कुछ ही दिनों में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन की 25वीं बरसी मनाएंगे। पंडित जी की याद को सम्मान देने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं कि हम उनके आदेशों को पूरा

करें, भारत का प्रत्येक नागरिक देश के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में अपने आपको धर्मनिर्पेक्षता के सिद्धांतों के प्रति समर्पित करे जिस पंडित जवाहर लाल नेहरू ने समर्थन किया।

— — —

6.15½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

71वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 71वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.16 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा, गुरुवार, 4 मई 1989 14 वैशाख, 1911 (शक) 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

— — —

मुद्रक : सनलाइट प्रेस, डा० सेन मार्ग, 2265 दिल्ली-6